मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 06/07/2017, दिनांक 23.02.2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017

कुछ विषयों में अतिरिक्त सह-विषयों का संयोजन तथा
अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) की आय सीमा में वृद्धि की सूचना

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग , मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2017, दिनांक 12.12.2017 आयोग की वेबसाइट तथा **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2017 के अंक में प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किए जाते है:-

02 **सहविषयों में संयोजन**

उक्त विज्ञापन की कंडिका दो में उल्लेखित सह-विषय विषयक टीप में, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 21.02.2018 के अनुपालन में निम्न विषयों में अतिरिक्त सहविषय शामिल किए जाते है:-

क्रं.	विषय	सह विषय (Allied Subject)
1	वनस्पतिशास्त्र (Botany)	1. औद्यौगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान (Industrial MicroBiology) 2. जीव विज्ञान (Life Science) 3. आनुवंशिकी यांत्रिकी (Genetic Engineering)
2	राजनीतिशास्त्र (Political Science)	1. मानव अधिकार (Human Right)
3	प्राणीशास्त्र (Zoology)	1. आनुवंशिकी यांत्रिकी (Genetic Engineering)
4	रसायनशास्त्र (Chemistry)	1. इन्स्ट्रूमेंटेशन एण्ड कामर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस (Instrumentation and Commercial method of Industrial Analysis MICA)
5	वाणिज्य (Commerce)	1.एमबीए ह्यूमन रिसोर्स (MBA- Human Resource Management)

03 **अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) की आय सीमा में संशोधन**

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 28/2009/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 02 नवंबर 2017 द्वारा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन No. 36033/01/2013-Estt(Res.), दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुरूप सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) की आय सीमा 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है । उक्त संशोधित आय सीमा मान्य की जाती है।

03 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सचिव